विद्युत दुर्घटनाओं/अग्निकांडो के जॉच की प्रकिया

विद्युत से घटित दुर्घटनाओं/अग्निकांडों की जॉच इस निदेशालय द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 धारा–161(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन की जाती है। उक्त दुर्घटनाओं/अग्निकांडों की जॉच निम्न प्रकि के अनुसार की जाती है :–

1. विद्युत से घटित दुर्घटना/अग्निकांड (जिसमें मानव/पशु/सम्पत्ति की क्षति हो या होने की सम्भावना हो) घटि होने के 24 घंटे के भीतर प्रदायकर्ता (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड) के प्रतिनिधि (जो अवर अभियन्ता स्तर से कम ना हो) द्वारा टेलीग्राफिक सूचना एवं 48 घंटो के भीतर दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट (फार्म–44 । इस निदेशालय के सम्बन्धित जोनल कार्यालय को उपलब्ध कराई जाती है।
2. जोनल कार्यालय में सूचना प्राप्त होने पर सहायक निदेशक द्वारा उसी दिन जॉच अधिकारी नामित करके ती दिनों के भीतर की जॉच तिथि की सूचना सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी को प्रेषित कर दी जाती है।
3. निर्धारित तिथि पर जॉच अधिकारी द्वारा निगम के सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता के सा दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करके स्थल का एक रेखाचित्र बनाकर पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति एवं निगम के सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिखित बयान लि जाते हैं तथा सम्बन्धित विद्युत उपकेन्द्र, जहां से उक्त लाइन पोषित थी, वहां से लॉग शीट, मूवमेंट रजिस्टर व शिकायत पंजिका की छायाप्रतियॉ प्राप्त की जाती है।
4. जॉच कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात स्थल पर पाई गई त्रुटियों को दूर करवाने हेतु भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम–5(4) के अन्तर्गत आदेश जारी किये जाते हैं जिसके अनुपालन की समय–सीमा एक माह होती है।
5. घातक दुर्घटना/अग्निकांड के केस में जिलाधिकारी से पुलिस/पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मॉग की जाती है एवं साधारण दुर्घटना के केस में सम्बन्धित चिकित्सालय से चिकित्सा रिपोर्ट की मॉग की जाती है।
6. लिये गये बयानों, स्थल जॉच एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर विस्तृत जॉच आख्या जॉच अधिकारी/सहायक निदेशक द्वारा तैयार की जाती है।
7. सहायक निदेशक जॉच अधिकारी की रिपोर्ट एवं समस्त उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना प्रपत्र–4 पर कालम–1 से कालम–9(ग) तक विवरण भर कर सम्पूर्ण पत्रावली सम्बन्धित उप निदेशक को प्रेषित/प्रस्तुत कर देते हैं।
8. उप निदेशक द्वारा पूरी पत्रावली के अध्ययन के पश्चात उक्त प्रपत्र के कालम–10 में अपनी संस्तुति एवं मन्तव्य का उल्लेख करके सम्बन्धित डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है जिसमें दुर्घटना हेतु दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही, पीड़ित व्यक्ति/उसके परिजनों को क्षतिपूर्ति दिये जाने एवं नियम–5(4) के अन्तर्गत जारी आदेश के अनुपालन हेतु कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।
9. कतिपय मामलो में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड से भिन्न बाहरी व्यक्ति दुर्घटना घटित होने के उत्तरदायी पाये जाते हैं तो ऐसे मामले में उस व्यक्ति/संस्था को, पीड़ित व्यक्ति/परिजनों को क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु आख्या की प्रति संलग्न करते हुए पत्र लिखा जाता है।
10. दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने से सम्बन्धित उप निदेशक द्वारा अपना मन्तव्य एवं संस्तुति अंकित करके सम्बन्धित डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक को रिपोर्ट प्रेषित करने में सामान्य परिस्थितियों में 18 दिनों का समय निर्धारित है।

(गिरीश कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक

Scanned by CamScanner